न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 41/2021 जिला भीलवाड़ा

आनन्द बनाम सरकार

आनन्द पिता कामदत्त अग्रवाल उम्र वयस्क निवासी–सी–189,काशीपुरी, भीलवाड़ा।

–अपीलांट

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बड़लियास जिला भीलवाड़ा

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 30.03.2021, द्वारा प्रकरण संख्या 7/2021 एवं निर्णय नायब तहसीलदार बड़लियास, दिनांक 28.12.2020, प्रकरण सं0–118/2020, उनवानी सरकार बनाम आनन्द।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री एम0एल0गुर्जर(अपीलांट अभि0)

राजकीय अभिभाषकः–श्री आकाश पारीक

निर्णय

दिनांकः–14.06.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चावण्डियां के खसरा नम्बर 1075 किस्म भूमि चरागाह मे से 10 बिस्वा क्षैत्र पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय बड़लियास में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण संख्या 118/2020 में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कोई विचार ना करते हुए नायब तहसीलदार न्यायालय बड़लियास द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने एवं 13 रूपये शास्ती आवंटित करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व उनके द्वारा अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में प्रकरण संख्या 7/2021 दर्ज करवायी गयी। उक्त अपील पर अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा एक कमिटी बनवाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि 1231/1074 का सीमाज्ञान करने के निर्देश दिये। उक्त कमेटी का इंचार्ज नायब तहसीलदार बड़लियास को बनाया गया। प्रकरण को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण दिनांक 30.03.2021 को कर दिया गया।

वर्तमान अपील में अपीलांट का मुख्य रूप से यह कहना है कि सीमा जानकारी के लिए जो कमिटी बनायी गई है, उसकी अध्यक्षता नायब तहसीलदार को दी गई है। जो उचित नहीं है। क्योकि नायब तहसीलदार न्यायालय में पीठासीन अधिकारी स्वयं है। भूमि सोमीला एक्स फैब(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की द्वारा क्रय की गयी पाया गया है। जो एक जुरिस्टिक पर्सन है। जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट अपने क्रयशुदा भूमि पर काबिज है वह अतिक्रमी नहीं है। अतः अपील स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार बड़लियास अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश को संशोधित करते हुए, नायब तहसीलदार बड़लियास का निर्णय अपास्त किया जायें। अतः अपील पूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने का आदेश दिया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

अपील मीमौ के साथ अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 30.03.2021 ,प्रकरण संख्या 118/2020 नायब तहसीलदार बड़लियास निर्णय दिनांक 28.12.2020 एवं ऑर्डरशीट दिनांक 23.07.2020 से 28.12.2020 की प्रमाणित फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गई।

अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली मंगवायी जाकर प्राप्त की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि नायब तहसीलदार बड़लियास द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वो साइक्लोस्टाइल आदेश है। हम नियमन की मांग कर रहे है। कमरे और दीवारें बनी हुई है। राजकीय अभि0 ने अपील में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड करने के लिए मांग की गई थी और वहां रिमाण्ड कर भी दिया गया फिर भी अपीलांट के द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गई जो खारिज की जायें।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने की जांच की गई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 का है। न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 13.07.2021 को दर्ज करवायी है। कोरोनाकाल में दिये गये निर्देशो के अनुसरण में अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। यह स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 1231/1074 पर सोमिला एक्स फेब (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड स्थापित है। खसरा नम्बर 1075 चरागाह भूमि है। उक्त खसरा नम्बर के सीमाज्ञान दिनांक 28.12.2020 के समय अपीलांट उपस्थित नहीं था। उस दिन सीमाज्ञान किया गया तथा अपीलांट का अतिक्रमण होना बताया गया। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.12.2020 को ही अतिक्रमी को बेदखल करने और पैनल्टी के आदेश जारी किये। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में अपीलांट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया। मगर नायब तहसीलदार न्यायालय बड़लियास के आदेश को निरस्त नहीं किया अपितु एक टीम बनाकर पुनः सीमाज्ञान करने हेतु निर्देश जारी करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया गया।

न्यायालय का यह मानना है कि सोमिला एक्स फेब (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अस्तित्व खसरा नम्बर 1231/1074 पर दिनांक 16.10.2014 से है। वर्तमान अपीलांट कम्पनी का डाइरेक्टर है ऐसा दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है। अतिक्रमण की कार्यवाही कम्पनी के विरूद्ध की जानी चाहिए थी ,मगर दोनो अधीनस्थ न्यायालयो ने इस विषय पर गौर नहीं किया है साथ ही अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा जो सीमाज्ञान हेतु कमिटी बनाई है उसमें नायब तहसीलदार बड़लियास को ही अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि नायब तहसीलदर बड़लियास पीठासीन अधिकारी हैं। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा कि फर्म को पक्षकार बनायें तथा सीमाज्ञान कमिटी में नायब तहसीलदार बड़लियास की जगह अन्य राजस्व अधिकारी को लगाकर नये सिरे से साक्ष्य का अवसर देते हुए निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि फर्म को पक्षकार बनायें तथा सीमाज्ञान कमिटी में नायब तहसीलदार बड़लियास की जगह अन्य राजस्व अधिकारी को लगाकर नये सिरे से साक्ष्य का अवसर देते हुए निर्णय पारित करें।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested